न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 18/2020

प्रार्थीगण :–

1 लीला देवी पत्नी स्व0 रतनलाल जाति माली निवासी बिलावास, तह0 सोजत जिला पाली।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1 घेवरराम पुत्र लालाराम माली नि0 बिलावास, तह0 सोजत जिला पाली।

2 तहसीलदार, (भूमिधारक) सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्तागण प्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक 16.05.2022

अधिवक्ता प्रार्थीया ने राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 का विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि सरहद मौजा बिलावास के वर्तमान खाता संख्या 243 (पुराना खाता नंबर 227) खसरा नंबर 507, 508, 520, 522, 524 कुल खसरा 05 कुल रकबा 0.9200 है0 की कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की प्रार्थीनी एंव अप्रार्थी संख्या 01 सह खातेदार की संयुक्त रुप से खरीद सुदा, कब्जासुदा, खातेदारी कब्जा काश्त की अविभक्त कृषि भूमि स्थित है जिसमे प्रार्थीया एंव अप्रार्थी संख्या 1 व सह खातेदार सोहनलाल द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार की हैसियत से बहिस्सा बराबर संयुक्त आय विनियोजित कर विक्रेतागण से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था अर्थात उपरोक्त वर्णित आराजीयात मे प्रार्थीनी का 1/3 हक हिस्सा एंव अप्रार्थीगण संख्या 1 व सोहनलाल का 1/3 हक हिस्सा एंव कब्ज काश्त है। लेकिन वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 1/2 हक हिस्सा एंव सह खातेदार सोहनलाल का 1/3 हक हिस्सा एंव प्रार्थीनी का 1/6 हक हिस्सा दर्ज सुदा है। जिसमे से अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से मे 1/6 हिस्सा दर्ज सुदा है जो प्रार्थीनी के खरीदसुदा मालिकाना हक का है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीनी का सगा जेठ है अर्थात प्रार्थीनी का पति स्वर्गीय रतनलाल एंव अप्रार्थी संख्या 1 व सह खातेदार सोहनलाल सगे भाई है तथा प्रार्थीनी के पति स्वर्गीय रतनलाल का स्वर्गवास दिनांक 12/7/1981 को हो चुका है। प्रार्थीनी के पति स्वर्गीय रतनलाल एंव अप्रार्थी संख्या 1 व सह खातेदार सोहनलाल हमेशा से संयुक्त हिन्दू परिवार के बतौर सदस्य की हैसियत से संयुक्त रुप से सम्पतियों का उपयोग उपभोग करते आये है। प्रार्थीनी के पति स्वर्गीय रतनलाल के स्वर्गवास के पश्चात से भी प्रार्थीनी एंव अप्रार्थी संख्या 1 व सह खातेदार सोहनलाल संयुक्त हिन्दू परिवार की सदस्य की हैसियत से संयुक्त रुप से सम्पतियों का उपयोग उपभोग करत आ रहे है। वाद पत्र मे वर्णित वादस्थ आराजीयात की कृषि भूमि को प्रार्थीनी एंव अप्रार्थी संख्या 1 व उसका भाई सोहनलाल द्धारा प्रिंसिपल विक्रेता मोतीलाल एंव कुन्नालाल जी सुनार निवासी बिलावास हाल सोजत रोड व श्यामलाल पुत्र कुन्नालाल जाति सुनार निवासी बिलावास हाल पाली वालों से वादस्थ आराजीयात को प्रतिफल की राशि 18000रु/ अक्षरे अठारह रुपये की राशि प्रार्थीनी एंव अप्रार्थीगण द्वारा संयुक्त रुप से प्रतिफल की राशि अदा कर खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। चूंकि वक्त प्रार्थीनी एंव अप्रार्थी संख्या 1 व उसका भाई सोहनलाल संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य होने के नाते व अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीनी के पति स्वर्गीय रतनलाल का बडा भाई होने एंव सोहनलाल देवर होने से संयुक्त हिन्दू परिवार मे रहते हुए तथा वक्त खरीद के समय प्रार्थीनी विधवा होने के कारण बाहर आना जाना नही होने से बेचान पंजीयन

उपखण्ड अधिकारी

संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य की हैसियत से अप्रार्थी संख्या 1 व सोहनलाल के नाम दिनांक 01/03/1993 को पंजीबद्ध करवाया गया लेकिन प्रार्थीनी द्वारा वादस्थ कृषि भूमि मे अपने 1/3 हक हिस्से की खरीद की राशि एंव बैंचान रजिस्ट्री का खर्चा वहन किया गया। वक्त खरीद से वादस्थ कृषि भूमि पर प्रार्थीनी एंव अप्रार्थी संख्या 1 व सोहनलाल का 1/3–1/3 हक हिस्से पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी बाधा अडचन के चला आ रहा हैं। आज भी प्रार्थीनी का मौके पर 1/3 हक हिस्से पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व सोहनलाल के नाम बेचान पंजीयन होने के आधार पर राजस्व रेकर्ड मे उनका ही नाम इन्द्राज किया गया। मात्र प्रार्थीनी का नाम बेचान दस्तावेज मे इन्द्राज नही करवाया लेकिन मौके पर प्रार्थीनी वक्त खरीद से कब्जा प्राप्त कर काबिज काश्त हो गयी थी तथा खरीद करने के पश्चात प्रार्थीनी एंव अप्रार्थी संख्या 1 व सोहनलाल मौके पर अपने 1/3–1/3 हक हिस्से पर माफिक मौखिक बंटवाडा अनुसार कब्जा काश्त उपयोग उपभोग आज दिनांक तक करते आ रहे है। वादस्थ भूमि खरीद करने के पश्चात प्रार्थीनी द्वारा मौके पर अपने 1/3 हक हिस्से की भूमि पर मेहन्दी की फसल बुवाई की गई तब से प्रार्थीनी वादस्थ भूमि मे 1/3 हक हिस्से पर लगातार मेहन्दी की फसल बुवाई, अवराई इत्यादि करती आ रही है। वर्तमान मे भी मौके पर प्रार्थीनी की मेहन्दी की फसल लगी हुई थी। पूर्व मे भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीनी के हक हिस्से मे दखल की गई तथा मेहन्दी की फसल मे नुकसान पंहुचाया गया। लेकिन अपार्थी संख्या 1 प्रार्थीनी के रिश्ते मे सगा जेठ होने से कार्यवाही नही की। अप्रार्थी संख्या 1 वादस्थ कृषि भूमि मे प्रार्थीनी के 1/3 हक हिस्से को हडप करना चाहता था। वक्त खरीद के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रार्थीनी को हमेशा यही आश्वासन एंव विश्वास देते रहे कि हम सभी संयुक्त हिन्दू परिवार के ही सदस्य है तथा तुम्हारा भी उपरोक्त भूमि मे 1/3 हक हिसा एंव कब्जा काश्त है। हम कभी भी तुम्हारे 1/3 हक हिस्से की बेचान रजिस्ट्री अथवा बक्सीसनामा तुम्हारे हक में निष्पादन करवा देंगे, तुम चिंता मत करो, कब्जा तुम्हारा ही हैं हम कभी भी तुम्हारे 1/3 हक हिस्से की बेचान रजिस्ट्री अथवा बक्सीसनामा तुम्हारे कहे निष्पादन करवा देंगे,तुम चिंता मत करो कब्जा तुम्हारा ही है, अप्रार्थी संख्या 1 व सोहनलाल प्रार्थीनी के जेठ एंव देवर होने के नाते प्रार्थीनी द्वारा विश्वास किया गया। चूंकि प्रार्थीनी का अपने हक हिस्से पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग पर कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 व सोहनलाल द्वारा पूर्व मे कभी भी दखल नही की गई। लेकिन अब अप्रार्थी संख्या 1 की नियत खराब हो चुकी वह वादस्थ कृषि भूमि मे प्रार्थीनी के हक हिस्से को भी हडप करना चाहता है जिसका कि अपार्थी संख्या 1 को कोई वैध अधिकार प्राप्त नही है, चूकि वादस्थ कृषि भूमि को प्रार्थीनी एंव अप्रार्थी संख्या 1 व सोहनलाल द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य के नाते संयुक्त रुप से आय विनियोजित कर खरीद कर कब्जा प्राप्त किया गया। जिसमे प्रार्थीनी द्वारा अपने 1/3 हक हिस्से की प्रतिफल की राशि मय रजिस्ट्री खर्चा अदा कर खरीदकर कब्जा प्राप्त किया गया है। मात्र प्रार्थीनी विधवा होने के नाते एंव अपार्थी संख्या 1 व सोहनलाल जेठ एंव देवर होने के कारण विश्वास से मात्र बेचान पंजीयन मे अप्रार्थी संख्या 1 व सोहनलाल का नाम ही बेचान पंजीयन करवाया गया है। जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 वर्तमान मे प्रार्थीनी का वादस्थ भूमि मे प्रार्थीनी के 1/3 हक हिस्से से बेदखल करने का आमादा है जिसका की अप्रार्थी संख्या 1 को कोई वैध अधिकार प्राप्त नही है, इतना ही नही स्वंय सोहनलाल द्वारा दिनांक 7/12/2016 को वादस्थ कृषि भूमि के सम्बन्ध मे प्रार्थीनी के हक मे 1/2 का 1/3 हक हिस्सा की बक्सीसनामा प्रार्थीनी के हक

उपखण्ड अधिकारी

मे पंजीयन कर निष्पादित करवाया गया। जिस बक्सीसनामा के आधार पर प्रार्थीनी का नाम वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड मे 1/6 हक हिस्से पर इन्द्राज किया गया। बक्सीसनामा दिनांक 07/12/2016 के पेज नंबर 3 पर भी यह तथ्य स्पष्ट अंकित किया गया है। कि सम्पूर्ण आराजीयात कि कृषि भूमि को खरीद करते समय मैने एंव बडे भाई व आप बक्सीसग्रहिता द्धारा संयुक्त हिन्दू परिवार मे रहते हुए बहिस्सा बराबर संयुक्त आय विनियोजित कर खरीद की गई है, लेकिन दौराने खरीद के समय संयुक्त हिन्दू परिवार होने एंव प्रार्थीनी विधवा होने के कारण बाहर आना जाना नही होने से अप्रार्थी संख्या 1 व सोहनलाल का 1/2–1/2 हिस्से से खरीद किया है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वादस्थ कृषि भूमि को प्रार्थीनी द्वारा भी संयुक्त रुप से खरीद कर प्रतिफल की राशि अदा की । जिसे अप्रार्थी संख्या 1 पूर्णतः एस्टोप्ड है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 की नियत खराब हों जाने से तथा वादस्थ कृषि भूमि प्रार्थीनी के 1/3 हक हिस्से अनुसार 0.1533 हैक्टर की भूमि जो कि अप्रार्थी संख्या 01 के राजस्व रेकर्ड मे ज्यादा दर्ज सुदा है, जिसका की प्रार्थीनी मालिक हैं। चूंकि सह खातेदार सोहनलाल द्वारा 1/6 हक हिस्सा प्रार्थीनी को बक्सीस किया जा चुका है। अब अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से मे प्रार्थीनी का 1/6 हक हिस्सा ज्यादा दर्ज सुदा है, लेकिन मौके पर प्रार्थीनी वादस्थ भूमि के 1/3 हक हिस्से पर काबिज काश्त है अप्रार्थी संख्या 1 भी वादस्थ भूमि के 1/3 हक हिस्से पर काबिज काश्त है मात्र राजस्व रेकर्ड मे 1/2 हक हिस्सा इन्द्राज सुदा है। अप्रार्थी संख्या 1 द्धारा जानबुझकर प्रार्थीनी के हक में 1/6 हक हिस्से का बार बार निवेदन करने के बावजूद भी बेचान अथवा अन्तरण का दस्तावेज निष्पादित नही करवाया गया है जिससे भी यह तथ्य स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीनी के वादस्थ भूमि मे हक हिस्से को अकेले ही हडप करना चाहता है। दिनांक 19/6/2020 को प्रार्थीनी वादस्थ कृषि भूमि मे अपने 1/3 हक हिस्से की सार संम्भाल हेतु मोके पर जो भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम ज्यादा दर्ज सुदा लेकिन मौके पर प्रार्थीनी काबिज काश्त है पर गयी तो आगे मौके वर वादस्थ भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 मिला जिसने प्रार्थीनी को मौके पर आते ही ऐलानिया धमकिया दी कि वादस्थ भूमि पर तुम्हारी पैर रखने कि हिम्मत कैसे हो गयी है तथा यह भी ऐलानिया कहा कि वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड मे तुम्हारा 1/6 हक हिस्सा ही दर्ज है शेष तुम्हारे 1/6 हक हिस्से पर मै तो तम्हे काश्त नही करने दूंगा। उक्त भूमि तुम्हारी भी खरीदसुदा हुई तो मै क्या करु राजस्व रेकर्ड मे तुम्हारा नाम दर्ज नही है। जिसके आधार पर मै जबकि तुम्हारे 1/6 हक हिस्से से भी तुम्हे बेदखल कर दूंगा तथा कब्जा काश्त उपयोग उपभोग नही करने दूंगा तथा राजस्व रेकर्ड के आधार पर तुम्हारे हक हिस्से की भूमि को भी मै अन्यत्र बेचान, हस्तान्तरण इत्यादि कर दूंगा। जबकि अप्रार्थी संख्या 01 ऐसा विधि विरुद्ध कृत्य करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है, चंकि वादस्थ भूमि मे प्रार्थीनी द्धारा अपना 1/3 हक हिस्से की राशि को संयुक्त रुप से अदा कर संयुक्त रुप से खरीद कर कब्जा प्राप्त की है तथा आज भी प्रार्थीनी मौके पर कब्जा काश्त है तथा वक्त खरीद से प्रार्थीनी द्धारा लगातार अपने खर्चे से मेहन्दी की फसल रोपाई कर लगातार काबिज काश्त चली आयी है। प्रार्थीनी द्धारा अपने 1/3 हक हिस्से पर लाखों रुपये विनियोजित किये है। उपरोक्त भूमि ही प्रार्थीनी की आजिवीका का एकमात्र साधन है। मात्र अप्रार्थी संख्या 1 वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थीनी की 1/6 हक हिस्से के ज्यादा इन्द्राज के आधार पर प्रार्थीनी को वादस्थ भूमि से बेदखल करने पर उतारु है तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्धारा प्रार्थीनी के 1/3 हक हिस्से की भूमि मे से 1/6 हक हिस्सा जो कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड मे ज्यादा दर्ज सुदा है मे प्रार्थीनी के

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

कब्जा काश्त उपयोग उपभोग मे भी दखल करने पर आमादा है, जिसका अप्रार्थी संख्या 1 का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है, प्रार्थीनी द्वारा अप्रार्थीगण से वादस्थ भूमि का माफिक अपने 1/3 हक हिस्से अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करने हेतु निवेदन करने पर भी साफ इंकार हो गये। इसलिये प्रार्थीनी अप्रार्थीगण से वादस्थ कृषि भूमि का अपने 1/3 हक हिस्सा का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कर अप्रार्थी संख्या 1 के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज 1/2 हक हिस्से मे से 1/6 हिस्सा की खातेदारी घोषणा करवाने की कानूनन अधिकारीणी है साथ ही अप्रार्थी संख्या 01 वादस्थ कृषि भूमि मे प्रार्थीनी के 1/3 हक हिस्से कब्जा काश्त उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा, दखल कारित नही करे तथा वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड मे ज्यादा हिस्से के आधार पर वादस्थ कृषि भूमि को अन्यत्र बेचान, बक्सीस, रहन, वसीयत इत्यादि नही करे। जिस हेतु अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक एंव न्यायांगत है। अतः प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीनी विरुद्ध अप्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन प्रार्थीनी के पक्ष मे है चूंकि वादस्थ भूमि को प्रार्थीनी एंव अप्रार्थी संख्या 1 व सह खातदार सोहनलाल के द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार मे रहते हुए प्रिंसिपल विक्रेता से बहिस्सा बराबर बराबर संयुक्त आय विनियोजित कर खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है, वक्त वादस्थ भूमि को खरीद के समय सयुक्त हिन्दू परिवार होने एंव प्रार्थीनी विधवा होने के कारण बाहर आना जाना नही होने से बेचान पंजीयन अप्रार्थी संख्या 1 एंव सह खातेदार सोहनलाल के नाम ही पंजीयन करवाया गया। लेकिन वादस्थ भूमि को खरीद करने मे वादीनी ने अपने 1/3 हक हिस्से की प्रतिफल की राशि मय रजिस्ट्री खर्चा अदा की है। प्रार्थीनी का भी वादस्थ भूमि मे 1/3 हक हिस्सा निहित है। वक्त खरीद से प्रार्थीनी का अपने 1/3 हक हिस्से पर लगातार कब्जा काश्त उपयोग उपभोग आज दिनांक तक चला आया हैं । प्रार्थीनी द्वारा अपने 1/3 हक हिस्से की भूमि मे खरीद करने के पश्चात से मेहन्दी की फसल बुवाई की थी, जो आज दिनांक तक काश्त कर रही है। मात्र अप्रार्थी संख्या 1 सगा जेठ होने एंव संयुक्त परिवार मे होने से प्रार्थीनी द्वारा बेचान पंजीयन मे अपना नाम इन्द्राज नही करवाया, जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए अप्रार्थी संख्या 1 जिसके हिस्से मे प्रार्थीनी का 1/6 हक हिस्सा ज्यादा इन्द्राज है को हडप कर प्रार्थीनी को वादस्थ भूमि से बेदखल करने को उतारु है तथा उक्त इन्द्राज के आधार पर वादस्थ भूमि को अन्यत्र बेचान, रहन, वसीयत अन्तरण इत्यादि करने को भी आमादा है साथ ही प्रार्थीनी के वादस्थ सम्पूर्ण भूमि मे प्रार्थीनी के 1/3 हक हिस्से उपयोग उपभोग मे भी बाधा दखल करने पर उतारु है। जिसका की अप्रार्थी संख्या को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है यदि अप्रार्थी संख्या 1 उक्त विधि विरुद्ध कृत्य करने मे सफल हो जाता है तो प्रार्थीनी अपनी खरीदसुदा, कब्जासुदा भूमि का उपयोग उपभोग करने सें हमेशा–हमेशा के लिये महरुम हो जावेगी इसलिये अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थीनी कें पक्ष मे है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि ताफैसल मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीनी विरुद्ध अप्रार्थी इस अमर की सादिर फरमाये जाने कि वादस्थ कृषि भूमि मे अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज ज्यादा इन्द्राज 1/6 हक हिस्सा जो कि प्रार्थीनी के मालिकाना हक का है के इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 वादस्थ भूमि को बिना वैध विभाजन करवाये आगे से आगे बेचान, हस्तानान्तरण, रहन, वसीयत, बक्सीस इत्यादि नही करे व वादस्थ कृषि भूमि मे प्रार्थीनी 1/3 हक हिस्से के कब्जे काश्त उपयोग, उपभोग मे किसी प्रकार की दखल अन्दाजी, बाधा अडचन कारित नही करे व अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीनी को वादस्थ कृषि भूमि से बेदखल नही करे व अप्रार्थी संख्या 2 राजस्व रेकर्ड मे किसी प्रकार

उपखण्ड अधिकारी

परिवर्तन नही करे। वादस्थ भूमि का बेचान हस्तान्तरण अन्यत्र किसी को कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्ण क्षति होगी। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में होने व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में होने से अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते है। दिनांक 22.10.2020 को अप्रार्थी घेवरराम की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी ने वकालतनामा पेश किया, मूल वाद में सामिल मिसल किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने जबाब प्रा0 पत्र पेश कर अंकित किया है कि प्रा0 पत्र पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित बिल्कुल ही झूठे एवं गलत है। प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र में बताई गई कृषि भूमि के तथ्य गलत है। वादस्थ कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा है। यह लिखना गलत है कि उक्त सम्पति हिन्दु परिवार की हैसियत से बहिस्सा बराबर कर संयुक्त आय विनियोजित कर खरीद कर कब्जा प्राप्त किया हो। वादस्थ भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने 1/2–1/2 के हिसाब से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। प्रार्थीनी का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1/3 हिस्सा का कथन गलत है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीनी का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 02 का 1/3 हिस्सा रहा है। प्रार्थीया ने 1/6 किससे खरीद किया है यह नही बताया है। अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थीया का जेठ है किन्तु प्रार्थीया का पति रतनलाल व अप्रार्थी संख्या 1 संयुक्त रूप से सम्पतियों का उपयोग उपभोग करते हो यह कथन गलत है। अप्रार्थी संख्या 1 सम्पति के हडप करने की नियत से संयुक्त रूप से खरीद कर करना बताकर झूठा दावा पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हिस्से की कृषि भूमि को कभी भी प्रार्थीया या अन्य किसी को बेचान नहीं किया है। प्रार्थीया का प्रिंसीपल विक्रेता मोतीलाल व श्यामलाल सुनार से 18000/–रूपये की राशि अदा कर वादस्थ आराजी कृषि भूमि को खरीद करने का कथन सरासर गलत व झूठ है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने वादस्थ कृषि भूमि दिनांक 01.03.1993 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। प्रार्थीया ने उक्त कृषि भूमि खरीद के समय किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्री खर्चा वहन नहीं किया है। प्रार्थीया के सभी कथन कपोल कल्पित व झूठे है। प्रार्थीया का वादस्थ कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा कतई नही बनता है। वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के बीच हिस्से अनुसार मौके पर किया हुआ है। प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 के काश्त में बाधा व अवरोध पैदा करना शुरू कर दिया है। वादस्थ भूमि का बंटवाडा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कराने हेतु प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 02 ने बंटवाडा कराने से साफ इंकार कर दिया। उक्त वाद से बचने के लिए एवं समय पर बंटवाड़ा नहीं हो इस आशय से यह खरीद की कहानी बनाकर झूठा दावा पेश किया है। बक्सीसनामा में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 ने जो भी कथन लिखवाया हैं। उससे अप्रार्थी संख्या 01 हक व अधिकारो पर किसी प्रकार का कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रार्थीया वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने 1/6 हिस्से का बंटवाड़ा करवाने की अधिकारीणी हैं किन्तु वादस्थ कृषि भूमि में से 0.1533 है की खातेदारी घोषणा की अधिकारीणी नहीं है। प्रार्थीया वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/6 हिस्से पर काबिज है तथा अप्रार्थी संख्या 1 अपने 1/2 हिस्से पर काबिज है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति पैदा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अतः जबाब प्रा0 पत्र पेश कर प्रा0 पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है। अप्रार्थी संख्या 2 जबाब प्रा. पत्र पेश नही करना चाहने से बन्द किया जाता है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीया ने व्यक्त किया है कि सरहद मौजा बिलावास के वर्तमान खाता संख्या 243 (पुराना खाता नंबर 227) खसरा नंबर 507, 508, 520, 522, 524 कुल खसरा 05 कुल रकबा 0.9200 है0 कृषि भूमि में प्रार्थीया का 1/3 हक हिस्सा निहित

उपखण्ड अधिकारी सोजत

है। इसलिए प्रा0 पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट0 स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि को बेचान, रहन अन्य हस्तान्तरण करने तथा प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त की भूमि में दखलअंदाजी करने से जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी को रोका जाकर पाबन्द किये जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस के जबाब में अधिवक्ता अप्रार्थी ने व्यक्त किया कि प्रार्थीया वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने 1/6 हिस्से का बंटवाड़ा करवाने की अधिकारीणी हैं किन्तु वादस्थ कृषि भूमि में से 0.1533 है की खातेदारी घोषणा की अधिकारीणी नहीं है। प्रार्थीया वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/6 हिस्से पर काबिज है तथा अप्रार्थी संख्या 1 अपने 1/2 हिस्से पर काबिज है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति पैदा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। यदि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिए पाबंद किया जाता है तो प्रार्थीया की बजाय अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थीया कतई खातेदारी हक की घोषणा करवाने की अधिकारीणी नही है न ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात, जबाब प्रा0पत्र अधिवक्ता मय अप्रार्थीगण तथा दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस प्रा0 पत्र वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः मूलवाद घोषणा के साथ विभाजन का है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उभयपक्षो को वादस्थ भूमि के मौका व रेकर्ड की स्थिति सुरक्षित रखना उचित प्रतीत होती है। जिससे की वाद बाहुल्यता नहीं बढे। अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रा0 पत्र के संलग्न प्रस्तुत समस्त दस्तावेजो, तथ्यो स्थितियो परिस्थितियो का मूल वाद में प्रस्तुत जबाब दावा एवं दस्तावेजो के आधार पर तनकियात कायम होकर/साक्ष्य उभय पक्ष रेकर्ड पर लेकर उभयपक्षों के हक अधिकारों का वाद विवेचन/विश्लेषण कर विनिश्चय किया जावेगा। लिहाजा वादस्थ भूमि की मौका व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्षों को वाद निर्णय तक पाबंद किया जाना उचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्राथीगण इस आशय की सादिर की जाती है सरहद मौजा बिलावास के वर्तमान खाता संख्या 243 (पुराना खाता नंबर 227) खसरा नंबर 507, 508, 520, 522, 524 कुल खसरा 05 कुल रकबा 0.9200 है0 की कृषि भूमि की वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति **(Status Que)** बनाये रखने हेतु उभयपक्षों को वाद निर्णय तक पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(गोपाल जागिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

निर्णय आज दिनांक 16.05.2022 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जागिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत